सोनभद्र पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 27.10.2026

- **"ऑपरेशन शुद्धि" के तहत ANTF यूनिट मेरठ, SOG सोनभद्र एवं थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई।**
- **काजू के छिलकों की आड़ में उड़ीसा से तस्करी कर लाया जा रहा 60 किलो 525 ग्राम अवैध गांजा बरामद (अनुमानित कीमत लगभग ₹30.25 लाख)।**
- **अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी में संलिप्त एक अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **गांजा तस्करी में प्रयुक्त आयशर कैन्टर एवं 01 मोबाइल फोन बरामद।**

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के निर्देशन में **"ऑपरेशन शुद्धि"** के तहत मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय **सुश्री मेविस टॉक** के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर **श्री रणधीर मिश्र** के नेतृत्व में ANTF यूनिट मेरठ, SOG सोनभद्र एवं थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस की संयुक्त टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 26.10.2026 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चुर्क मोड़ यात्री शेड, लोढ़ी, शक्तिनगर-वाराणसी मार्ग पर चेकिंग के दौरान आयशर कैन्टर को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन में काजू के छिलकों से भरे कट्टों के बीच छिपाकर रखे गए तीन प्लास्टिक कट्टों से **कुल 60 किलो 525 ग्राम अवैध गांजा** बरामद हुआ। मौके से वाहन चालक ऋषि कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक मोबाइल फोन एवं ₹100 नकद भी बरामद हुए। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना रॉबर्ट्सगंज पर **मु0अ0सं0 839/2026, धारा 8/20/27A/29/60/61 NDPS एक्ट** के अंतर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण—

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि वह उड़ीसा के भुवनेश्वर क्षेत्र से काजू के छिलकों की आड़ में गांजा लेकर आ रहा था, जिसे जनपद एटा में एक व्यक्ति को देना था। अभियुक्त के अनुसार, उड़ीसा निवासी एक व्यक्ति ने उसे गांजा लाने के लिए आयशर कैन्टर उपलब्ध कराया था तथा इस कार्य के बदले **₹40,000 अतिरिक्त देने का लालच** दिया था।

पुलिस द्वारा गांजे की तस्करी में संलिप्त अन्य व्यक्तियों की पहचान करने के लिए अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

ऋषि कुमार यादव पुत्र स्व0 विनेश कुमार, निवासी ग्राम किशनपुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद एटा।

बरामदगी का विवरण—

- 60 किलो 525 ग्राम अवैध गांजा **(अनुमानित कीमत लगभग ₹30.25 लाख)**।
- 01 आयशर कैन्टर।
- 01 मोबाइल फोन।
- ₹100 नकद।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास—

1. मु0अ0सं0- 50/2020, धारा 102, 41 दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं धारा 411, 420, 467, 468 भा.दं.सं., थाना कोतवाली देहात, जनपद एटा।
2. मु0अ0सं0- 51/2020, धारा 25/3 आयुध अधिनियम, थाना कोतवाली देहात, जनपद एटा।
3. मु0अ0सं0- 839/2026, धारा 8/20/27A/29/60/61 NDPS एक्ट, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—

1. निरीक्षक श्री रामस्वरूप वर्मा, SOG सोनभद्र।
2. उ0नि0 श्री लोकेन्द्र कुमार, ANTF यूनिट मेरठ।
3. उ0नि0 श्री उमाशंकर यादव, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
4. हे0का0 श्री विनीत कुमार, हे0का0 श्री संजीव कुमार, हे0का0 श्री नवीन कुमार, हे0का0 श्री धीरी सिंह (चालक), ANTF यूनिट मेरठ।
5. हे0का0 श्री राजेश यादव, हे0का0 श्री मनीष सिंह, का0 श्री रितेश सिंह पटेल, का0 श्री जयप्रकाश सरोज, का0 श्री सत्यम पाण्डेय, का0 श्री अजीत कुमार, SOG सोनभद्र।
6. का0 श्री मशी अहमद, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।